(122)

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
93/2015/प्रा.पत्र/2015	09.10.2015	16.05.2019

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

...... प्रार्थी

बनाम

1–श्री दिनेश कुमार जैन पुत्र सम्भीर मल जैन जाति महाजन निवासी कोटा रोड बडा कुआं टोंक जिला टोंक मैनेजर मैसर्स दिनेश कुमार निर्मल कुमार कोटा रोड बडा कुआं टोंक जिला टोंक
2– मैसर्स दिनेश कुमार निर्मल कुमार कोटा रोड बडा कुआं टोंक जिला टोंक
3–श्री जुगल किशोर टोडवाल पुत्र शिव शकंर टोडावाल निवासी ग्राम भांकरोटा अजमेर रोड जयपुर प्रो0 मैसर्स खण्डेलवाल एजेन्सीज डी–6/344 चित्रकूट योजना अजमेर रोड जयपुर
4– मैसर्स खण्डेलवाल एजेन्सीज डी–6/344 चित्रकूट योजना अजमेर रोड जयपुर
5–श्री धर्मेन्द्र हंसराज कोटक नॉमिनी मैसर्स नेस्ले इण्डिया लिमिटेड द्वारा मैसर्स लक्ष्मी एजेन्सीज ई– 168 रोड नं0 9 जे वीकेआई एरिया बनीपार्क जयपुर
6– मैसर्स नेस्ले इण्डिया लिमिटेड द्वारा मैसर्स लक्ष्मी एजेन्सीज ई– 168 रोड नं0 9 जे वीकेआई एरिया बनीपार्क जयपुर

...... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 व 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री सत्यनारायण गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थीगण की औंर से श्री प्रदीप कुमार गुप्ता अभिभाषक

:–**निर्णय**–:

दिनांक 16.05.2019

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 05.06.2015 को समय 4.15 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स दिनेश कुमार निर्मल कुमार कोटा रोड बडा कुआं टोंक जिला टोंक पर पहुंचां। एफ.बी.ओ. की हैसियत से दिनेश कुमार जैन पुत्र सम्भीर मल जैन जाति महाजन निवासी कोटा रोड बडा कुआं टोंक जिला टोंक मैनेजर मैसर्स दिनेश कुमार निर्मल कुमार कोटा रोड बडा कुआं टोंक जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना स्वीकार किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में कागज के 2 कार्टूनो मे 292 ग्राम पैक के लगभग 48 पैकेट पैक्ड अवस्था मे **ओट्स नूडल्स (इन्सटेंट नूडल्स विथ टेस्ट मेकर प्रोपरायटरी फूड मैगी ओट्स नूडल्स ब्राण्ड)** रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री दिनेश कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता दिनेश कुमार जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान में रखे 2 कार्टूनो मे रखे 292 ग्राम पैक के लगभग 48 पैकेट पैक्ड अवस्था मे **ओट्स नूडल्स (इन्सटेंट नूडल्स विथ टेस्ट मेकर प्रोपरायटरी फूड मैगी ओट्स नूडल्स ब्राण्ड)**मे से 8 पैकेट 292 ग्राम पैक के पैक्ड अवस्था मे **ओट्स नूडल्स (इन्सटेंट नूडल्स विथ टेस्ट मेकर प्रोपरायटरी**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

796

123

फूड मैगी ओट्स नूडल्स ब्राण्ड)के बैंच नम्बर 43580455 ई.बी. एंव पैकिंग कि दिनांक 24.12.2014 थी को ज्यो का त्यो पैक्ड अवस्था मे 292 ग्राम के 8 पैकेट वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री दिनेश कुमार जैन को रू0 760/–अक्षरे सात सो साठ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **ओट्स नूडल्स (इन्सटेंट नूडल्स विथ टेस्ट मेकर प्रोपरायटरी फूड मैगी ओट्स नूडल्स ब्राण्ड)**8 पैकेट प्रत्येक 292 ग्राम को एक–एक पैकेट के बराबर–बराबर चार भाग तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I–1038 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विकेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1038 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी. ओ. दिनेश कुमार जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना कय करते समय एफ.बी.ओ. दिनेश कुमार जैन ने **ओट्स नूडल्स (इन्सटेंट नूडल्स विथ टेस्ट मेकर प्रोपरायटरी फूड मैगी ओट्स नूडल्स ब्राण्ड)**बतोर वारन्टी मैसर्स खण्डेलवाल एजेन्सीज डी–6/344 चित्रकूट योजना अजमेर रोड जयपुर का बिल कमांक 00206 दिनांक 22.05.2015 की छायाप्रति प्रति पेश की। प्रोपरायटर मैसर्स खण्डेलवाल एजेन्सीज डी–6/344 चित्रकूट योजना अजमेर रोड जयपुर ने बतोर वारन्टी मैसर्स नेस्ले इण्डिया लिमिटेड द्वारा मैसर्स लक्ष्मी एजेन्सीज ई– 168 रोड नं0 9 जे वीकेआई एरिया बनीपार्क जयपुर का बिल कमांक 937488226 दिनांक 27.02.2015 की छायाप्रति प्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./15/3033 दिनांक 27.08.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/476/एक्ट/2015/476 दिनांक 23.07.2015 अनुसार दिनेश कुमार जैन से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया **ओट्स नूडल्स (इन्सटेंट नूडल्स विथ टेस्ट मेकर प्रोपरायटरी फूड मैगी ओट्स नूडल्स ब्राण्ड)** खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard) / मिथ्याछाप** (Mis-branded) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **अवमानक (Sub-Standard) / मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **ओट्स नूडल्स (इन्सटेंट नूडल्स विथ टेस्ट मेकर प्रोपरायटरी फूड मैगी ओट्स नूडल्स ब्राण्ड)**का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 (सहपठित धारा 49)में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र एवं लिखित बहस पेश की। प्रकरण में सरकार की और से खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अभिभाषक अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस खाद्य पदार्थ **ओट्स नूडल्स (इन्सटेंट नूडल्स विथ टेस्ट मेकर प्रोपरायटरी फूड मैगी ओट्स नूडल्स ब्राण्ड)** का विकय कर रहा था वह खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/476/एक्ट/2015/476 दिनांक 23.07.2015 अनुसार **अवमानक (Sub-Standard) / मिथ्याछाप** (Mis-branded) का होना पाया गया। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा विस्तृत जवाब प्रार्थना पत्र/ लिखित बहस पेश करते हुए अनुरोध किया कि उनके द्वारा निर्मित व विक्रीत खाद्य पदार्थ **ओट्स नूडल्स (इन्सटेंट नूडल्स विथ टेस्ट मेकर प्रोपरायटरी फूड मैगी ओट्स नूडल्स ब्राण्ड)**निर्धारित मानको के अनुसार ही बनाया गया है खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में **अवमानक (Sub-Standard) / मिथ्याछाप** (Mis-branded) होने के आरोप मिथ्या है। अप्रार्थीगण द्वारा खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 की धारा 27(2) के समस्त खण्डो ओर इसके अधीन बनाये गये नियमों व विनियमों का उल्लघंन नहीं किया गया है। खाद्य विश्लेषक ने खाद्य पदार्थ **ओट्स नूडल्स (इन्सटेंट नूडल्स विथ टेस्ट मेकर प्रोपरायटरी फूड मैगी ओट्स नूडल्स ब्राण्ड)**अवमानक माना जबकि उक्त खाद्य पदार्थ मूलक खाद्य है और अवमानक नहीं है। विनियम 2011 के अनुसार **ओट्स नूडल्स (इन्सटेंट नूडल्स विथ टेस्ट मेकर प्रोपरायटरी फूड मैगी ओट्स नूडल्स ब्राण्ड)**के कोई मानक निर्धारित नही है यह निजस्वमूलक खाद्य के रूप में वर्गीकृत है। नियम 2.12.1 के अनुसार वह खाद्य जिसका मानक विनिर्दिष्ट नहीं है निजस्वमूलक खाद्य है। **ओट्स नूडल्स (इन्सटेंट नूडल्स विथ टेस्ट मेकर प्रोपरायटरी फूड मैगी ओट्स नूडल्स ब्राण्ड)Proprietary food** है जिसके लिए इन विनियमों में कोई मानक निर्धारित नहीं है। विनियम 2.4.10 मैकरोनी उत्पादो पर लागू है, इन्सटेण्ट नूडल्स पर नहीं। अतः मैगी नूडल्स में वर्णित मानको के साथ नहीं रखा जा सकता। वाणिज्यिक रूप से भी नूडल्स मैकरोनी उत्पादो से भिन्न है। महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा के कार्यालय से जारी स्पष्टीकरण दिनांक 5.12.89 के अनुसार आदेश दिनांक 27.11.89 द्वारा मैकरोनी उत्पादो को इन्सटेण्ट नूडल्स से अलग रखा गया क्योंकि मैकरोनी उत्पाद कच्ची अवस्था में है जबकि नूडल्स पूर्ण पकी अवस्था में है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आदेश F.No.10/QA/ENFORCEMENT Issues FSSAI-2015 दिनांक 8.6.15 द्वारा निर्धारित मानक मात्र मैकरोनी श्रेणी के खाद्य उत्पादो पर लागू होगें।

अप्रार्थीगण का यह भी कथन है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा समय समय पर अनुज्ञापन, परीक्षण एवं मानको के विषय में FSSAI द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 16(1) के अन्तर्गत एडवायजरी जारी की जाती है। इस संबंध में मा. मुम्बई उच्च न्यायालय ने रिट सं. 2746/2013 के निर्णय में अभिनिर्धारित किया है कि FSSAI को धारा 16(1) के अन्तर्गत उन विषयों के संबंध में जारी करने का अधिकार नहीं है जो धारा 16(2) अथवा अधिनियम के अन्य उपबन्धो से संबंधित हो। उक्त निर्णय को मा. उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.8.2015 द्वारा यथावत रखा गया। अतः एडवायजारी दिनांक 8.6.2015 इन्सटेण्ट नूडल्स विद टेस्ट मेकर के संबंध में शून्य है।

खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट अनुसार Caramel colour **के कारण भी मैगी नूडल्स विद टेस्ट मेकर को अवमानक (Sub-Standard) / मिथ्याछाप (Mis-branded)** माना है। किन्तु विनियम 3.1.2 के अनुसार प्राकृतिक Caramel colour खाद्य उत्पाद में प्रयुक्त किये जा सकते है। FSSAI की एडवायजरी दिनांक 8.6.15 एवं वर्ष 2016 में जारी सातवें संशोधन के अन्तर्गत सीजनिंग में कारमल रंग की उपस्थिति अनुज्ञप्त नहीं थी। किन्तु पुनः 28.12.2017 को FSSAI को के निर्देशन एवं दिनांक 12.11.2018 को जारी शासकीय गजट अनुसार टेस्टमेकर में कारमल रंग 10 हजार मिलीग्राम प्रति किलोग्राम मिलाया जा सकता है। खाद्य विश्लेषक ने टेस्ट मेकर के पाउच पर आवश्यक जानकारियां अंकित न होने के कारण नमूना को मिथ्या छाप/अवमानक घोषित किया है जो त्रुटिपूर्ण व अधिनियम की मंशा के विपरीत है क्योंकि उक्त टेस्ट मेकर के विषय में सम्पूर्ण जानकारी बाह्य पैक पर स्पष्टतः अंकित है जिससे ग्राहक को उक्त खाद्य के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके। क्योंकि ग्राहक खाद्य के कय के दौरान बाह्य पैक पर अंकित सूचना के आधार यपर ही खाद्य कय करता है। साथ ही पैक के अन्दर मौजूद टेस्ट मेकर पृथक रूप से विकी हेतु नहीं है और साथ ही उस पर सूचनायें अंकित करने में मुद्रण स्याही खाद्य (नूडल्स) के सीधे सम्पर्क में आ जायेगी, जिससें खाद्य के असुरक्षित होने की आशंका उत्पन्न हो जायेगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा भी हाल ही में यह उद्घोषणा की है कि खाद्य पदार्थ मुद्रण स्याही के सीधे सम्पर्क में नहीं आना चाहिए। अतः प्रार्थी को आरोपो से मुक्त किया जाकर प्रकरण निरस्त किया जावे अथवा विकल्प में शून्य जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण को ड्रोप फरमाया जावे। अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपने तथ्यों की पुष्टि में न्यायिक दृष्टांत मा. उच्च न्यायालय उतराखण्ड का निर्णय दिनांक 05.06.2015, मा. उच्च न्यायालय कर्नाटक का निर्णय दिनांक 05.12.2014, मा. उच्च न्यायालय मद्रास का निर्णय दिनांक 22.07.2016, मा. उच्च न्यायालय बोम्बे का निर्णय दिनांक 21.02.2018,

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

मा. उच्च न्यायालय राजस्थान का निर्णय दिनांक 07.02.2018, दिनांक 12.03.2018, 06.07.2017 एवं 12.07.2017 उद्वरित किये है।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट सं0एल0एस0/476/एक्ट/2015/476 दिनांक 23.07.2015 व दोनों पक्षो द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तथ्यों का गहनता से मनन व विश्लेषण किया। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण खाद्य उत्पाद मैगी नूडल्स विद टेस्टमेकर की विनिर्मात्री कम्पनी नैस्ले इण्डिया लिमिटेड के प्राधिकृत वितरक है और सम्पूर्ण खाद्य पदार्थ बिल कैशमीमो द्वारा ही क्रय विक्रय किया जाता है। मैगी इन्सटेण्ट नूडल्स विद टेस्ट मेकर **Proprietary food** है। जिनके लिए 2011 के विनियमो में कोई मानक निर्धारित नहीं है। उक्त प्रकरण में लिए गये नमूने के पैकेट पर ही इसे प्रोपरायटरी फूड घोषिक किया हुआ है, किसी खाद्य पदार्थ को अवमानक (Sub-Standard) / मिथ्याछाप (Mis-branded) घोषित किये जाने के लिए यह आवश्यक है कि उसके लिए मानक तय किये गये हो।इस प्रकार प्रोपरायटरी फूड जिसका मानक विहित नहीं है उसे मिथ्याछाप/अवमानक घोषित नही किया जा सकता। साथ ही रिपोर्ट के अन्य तथ्यों के संबंध में उपर किये गये विश्लेषण के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहूंचते है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रस्तुत खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट त्रृटिपूर्ण है तथा निरस्त किये जाने योग्य है।अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थीगण के विरूद्व जारी नोटिस निरस्त क्रते हुए प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner